

निगरानी 1626-II-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म०१०८।



Rs. 20/-

166  
2.6.15

- 1- रामप्रताप सिंह तनय राजबहादुर सिंह
- 2- प्रिय प्रताप सिंह      पृत्र गण रामप्रताप सिंह
- 3- जय प्रताप सिंह      :
- 4- छोटेवाल सिंह      :
- 5- राहुल सिंह तनय सूर्य प्रताप सिंह

----- सभी निवासी ग्राम रामपुर थाना तह० नर्गढ़ी जिला रीवा म०१०८ ----- निगशनीकर्ता/आवेदक ।

विरुद्ध

1- दल प्रताप सिंह तनय राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना / तह० नर्गढ़ी जिला रीवा म०१०८ ----- गैर निगशनीकर्ता/अना० ।

श्री. जे. एल. पटेल  
द्वारा आज दिनांक 02.06.15 के  
प्रस्तुत किया गया।  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार प्रभारो खर्चा रामपुर तहसील नर्गढ़ी जिला - रीवा म०१०८ द्वारा प्र०१०८ ०1४-7०/2014-15. आदेश दिनांक 4-4-15, मुदाविक धारा 5० म०१०८भूरा संसिद्धा 1959 ई० ।

8.6.15

मा न्यवर,

निगरानी के आधार निम्नीलिखत है :-

- 1- यहाँक अधीनस्थ तहसील न्यायालय को आशा विधी एवं प्रीक्रया के विरुद्ध है ।
- 2- यहाँक भूमि करारा क्र० 216/1 रक्का 1-06 ए० रीक्का ग्राम रामपुर तहसील नर्गढ़ी जिला रीवा जो कि आवेदक गण एवं अनावेदक को उसके पिता

M

१०० ---


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R.1626-II/15... जिला... सीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-16	<p>गिरांवदार पत्र के विहान इधिसका के तर्क सुने गए एवं इधिसका का परिशीलन किया गया ।</p> <p>नहसीवदार नईगढी के इतफाईका आदेश दि. 4.4.15 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि पटवारी अतिपेदन अनुसार वाद भूमि शासकीय है जिस पर पत्रकारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है । नह. का आदेश अन्तिम आदेश नहीं है ।</p> <p>अतः नह. को निदेश दिया जाता है कि <sup>उसके न्यायालय के</sup> प्रकरण में पत्रकारों को सुनवाई का अवसर देने हुए विधि अनुसार निर्णय यथाशीघ्र पारित करें ।</p> <p>गिरावनी पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण अप्राप्त की जाती है ।</p> <p>प्रकरण समाप्त । पत्रकार सूचित हो । दा. द. घ. ।</p>	

✓

  
सदस्य